हिन्दी पाक्षिक

महानगर स्तंभ

RNI NO. RAJHIN/2017/70561

पृष्ठ संख्या.... 2

❐ वर्ष-8 ❐ अंक-8 जयपुर, सोमवार 15 अप्रैल, 2024 ❐ एक प्रति 5 रुपये ❐ कुल पृष्ठ-4

लोकतंत्र का महापर्व-आम चुनाव 2024

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतात्रिक देश है। यहां लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू है। जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा सिद्धान्त पर लोकतंत्र स्थापित है। देश के नागरिकों को वोट देने तथा अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है। इस साल देष में आम चुनाव होने जा रहे हैं। सत्रहवीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को समाप्त होने वाला है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रासंगिक शक्तियां, कर्तव्य और कार्य प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 83(2) भारत के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 14 में नई लोकसभा के गठन के लिए उसके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने का प्रावधान है। इन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुये, भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागितापूर्ण, सुलभ, समावेशी, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए व्यापक तैयारी की है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और पुरुष/महिला तथा साजो-सामान की व्यवस्था के संबंध में भारी चुनौतियां रहती हैं और इस दिशा में आयोग का प्रयास सभी हितधारकों से परामर्श करना, सभी संबंधित विभागों/संगठनों से इनपुट आमंत्रित करना तथा आम चुनाव के एक और दौर के लिये एक समन्वित ढांचा विकसित करना होता है। 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव आयोजन में शामिल विभिन्न आयामों का आकलन करने के दौरान, विशेष रूप से, उनके शेड्यूलिंग और चरणबद्धता के लिए विचार किए जाने वाले मापदंडों के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई है। चुनाव के हर पहलू को बहुत पहले से सुनिश्चित कर लिया गया है, ताकि ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुलभ, शांतिपूर्ण और समावेशी तरीके से आयोजित हो सकें। आयोग ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए कई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा किया है और यात्रा के दौरान, आयोग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के राजनीतिक दलों, प्रवर्तन एजेंसियों, सभी जिला अधिकारियों, एसएसपी/एसपी, मंडल आयुक्तों, रेंज आईजी, सीएसध्डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। भारत सरकार ने 9 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है और जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को लागू किया है। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर अपनी स्थापना के बाद पहली बार चुनाव के लिए तैयार है।

पूरे देश में आम चुनावों के संचालन के लिए विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों/पॉकेटों में मतदाताओं की निर्भीक भागीदारी के साथ शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों की समुचित तैनाती की आवश्यकता होती है। न्यूनतम क्रिस-क्रॉस मूवमेंट और इष्टतम उपयोग के साथ इन बलों की गतिशीलता, तैनाती और कार्रवाई करने की तैयारी के मद्देनजर जटिल योजना और विस्तृत विश्लेषण शामिल होता है, जो गृह मंत्रालय/सीएपीएफ / राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस नोडल अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर के परामर्श से किया गया था। आयोग ने इन बलों की प्रभावी तैनाती के लिए समन्वय के क्षेत्रों को उजागर करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव के साथ भी चर्चा की। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सीएपीएफ कंपनियों और अन्य पुलिस बलों की सुचारु और समय पर आवाजाही के लिए अन्य साजो-सामान सहित विशेष ट्रेनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेल मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई, ताकि चुनाव अवधि के दौरान उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हो सके। भारतीय रेलवे को उचित सुविधाओं के साथ रोलिंग स्टॉक जुटाने, समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और सशस्त्र बलों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। भारत में लोकसभा के आम चुनाव को दुनिया की सबसे बड़ी मानव प्रबंधन कवायद माना जाता है। इस अभ्यास के लिए 12 मिलियन से अधिक अधिकारियों की चुनाव मशीनरी को जुटाना भारी भरकम काम होता है। इस प्रकार चुनावों के त्रुटिहीन संचालन के लिए इन अधिकारियों का प्रशिक्षण आवश्यक रहता है। इस तरह के परिमाण का प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है, जिससे मास्टर प्रशिक्षक तैयार होते हैं और वे प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करते हैं। भारत और विदेश के चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जून 2011 में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) की स्थापना की गई थी। आईआईआईडीईएम तब से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है।

लोकसभा आम चुनाव-2019 में मतदान प्रतिशत 67.4 प्रतिशत था, जिसे आयोग ने अपने मिशन 'कोई भी मतदाता पीछे न छूटे' की तरह ही इसमें सुधार करने को एक चुनौती के रूप में लिया है। चुनाव आयोग ने चुनावी पर्व को अपने सूत्रवाक्य ÷चुनाव का पर्व, देश का गर्व÷ के तहत शामिल किया है। इस अभियान की व्यापक थीम चुनाव को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व, व्यक्ति और देश के गौरव के रूप में दर्शाती है। पहली बार मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिये जैसे लक्षित अभियान भी शुरू किए गए हैं। स्वीप मतदाता जागरूकता फैलाने में मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों की पहुंच का भी लाभ उठा रहा है, ऐसा एक और प्रयास लघु फिल्म माई वोट, माई ड्यूटी का निर्माण है। ईसीआई ने अपने मतदाता पहुंच और जागरूकता प्रयासों का विस्तार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन आदि के साथ सहयोग किया है। इन संगठनों के माध्यम से, स्वीप का लक्ष्य युवाओं के बीच चुनावी साक्षरता बढ़ाना और देश भर में मतदाता भागीदारी बढ़ाना है। इस दिषा में ईसीआई ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और अभिनेता राजकुमार राव को राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में नियुक्त किया।

शेष पृष्ठ 3 पर.....

Schedule Reference		Parliamentary Constituencies			
		Sl.	PC No.	PC Name	Type
Schedule no:	1A	1	1	Ganganagar	SC
No of PCs going to poll	12	2	2	Bikaner	SC
Issue of Notification:	20-03-2024	3	3	Churu	GEN
Last Date for filing Nominations:	27-03-2024	4	4	Jhunjhunu	GEN
Scrutiny of Nominations:	28-03-2024	5	5	Sikar	GEN
Last date for withdrawal of Candidature:	30-03-2024	6	6	Jaipur Rural	GEN
Date of Poll	19-04-2024	7	7	Jaipur	GEN
Counting of Votes:	04-06-2024	8	8	Alwar	GEN
Date before which the election shall be Completed	06-06-2024	9	9	Bharatpur	SC
		10	10	Karauli-Dholpur	SC
		11	11	Dausa	ST
		12	14	Nagaur	GEN
Schedule no:	2A	13	12	Tonk-Sawai Madhopur	GEN
No of PCs going to poll	13	14	13	Ajmer	GEN
Issue of Notification:	28-03-2024	15	15	Pali	GEN
Last Date for filing Nominations:	04-04-2024	16	16	Jodhpur	GEN
Scrutiny of Nominations:	05-04-2024	17	17	Barmer	GEN
Last date for withdrawal of Candidature:	08-04-2024	18	18	Jalore	GEN
Date of Poll	26-04-2024	19	19	Udaipur	ST
Counting of Votes:	04-06-2024	20	20	Banswara	ST
Date before which the election shall be Completed	06-06-2024	21	21	Chittorgarh	GEN
		22	22	Rajsamand	GEN
		23	23	Bhilwara	GEN
		24	24	Kota	GEN
		25	25	Jhalawar-Baran	GEN

मतदाताओं की संख्या

1 जनवरी 2024 के संदर्भ में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार देश में कुल मतदाता 2019 में 896 मिलियन की तुलना में 968.8 मिलियन हैं। यह 72.8 मिलियन से अधिक मतदाताओं की वृद्धि का प्रतीक है। 18.4 मिलियन से अधिक मतदाता 18-19 वर्ष आयु वर्ग के हैं। 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता कुल मतदाताओं का 1.89 प्रतिशत हैं। थर्ड जेंडर (टीजी के रूप में लिखा गया) के रूप में नामांकित मतदाताओं की संख्या 48,044 है । संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन किया, जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में नामांकन की अनुमति मिल गई। वर्तमान मतदाता सूची में 1,18,439 विदेशी मतदाताओं को नामांकित किया गया है। मतदाता सूची में 19,08,194 सेवा मतदाता हैं। पूरे देश में कुल 88,35,449 दिव्यांग मतदाता हैं जिनमें 52,65,076 दिव्यांग पुरुष मतदाता, 35,69,933 दिव्यांग महिला मतदाता और 440 दिव्यांग थर्ड जेंडर मतदाता मौजूद हैं। दस मार्च, 2024 तक, 85 वर्ष से अधिक आयु के कुल 81,87,999 वरिष्ठ नागरिक मतदाता और 100 वर्ष से अधिक आयु के 2,18,442 मतदाता हैं।

सभी मतदान केंद्र भूतल पर स्थित हैं, और दिव्यांग मतदाताओं और व्हीलचेयर वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उचित ढाल वाले रैंप प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित और आवश्यकता-आधारित सुविधा प्रदान करने के लिए, आयोग ने निर्देश दिया है कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें उनके संबंधित मतदान केंद्रों पर टैग किया जाए और आवश्यक दिव्यांगता-विशिष्ट व्यवस्था की जाए। यह व्यवस्था करने का उद्देश्य है कि मतदान के दिन उन्हें सुविधा का अनुभव हो सके। पहचाने गये दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को आरओ/डीईओ द्वारा नियुक्त स्वयंसेवकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा की जाएगी। साथ ही, यह निर्देश दिया गया है कि दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाए। मतदान केंद्र परिसर के प्रवेश द्वार के नजदीक निर्दिष्ट पार्किंग स्थानों का प्रावधान किया जाना चाहिए और बोलने और सुनने में अक्षम मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। आयोग ने सीईओ को निर्देश दिया है कि मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए उचित परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए। दिव्यांग मतदाता सक्षम-ईसीआई ऐप पर पंजीकरण करके व्हीलचेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं । मतदान केंद्र पर, दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी ओर से वोट डालने के लिए अपने साथ एक साथी ले जा सकते हैं, जैसा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49 एन में दिया गया है।

उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा

उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को भारत सरकार द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है। संशोधित सीमा के अनुसार, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों के लिए प्रति उम्मीदवार 95.00 लाख रुपये है। इन तीन राज्यों के लिए यह प्रति उम्मीदवार 75.00 लाख रुपये रखी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के लिए अधिकतम सीमा प्रति उम्मीदवार 95.00 लाख रुपये और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रति उम्मीदवार 75.00 लाख रुपये है।

चुनाव योजना पोर्टल

चुनाव योजना पोर्टल चुनाव प्रबंधन प्रक्रिया को एक डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई नई पहल है। इस पोर्टल तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सीईओ, ईसीआई में योजना प्रभाग और क्षेत्रीय प्रभाग पहुंच सकेंगे। इस पोर्टल में विभिन्न विशेषताएं हैं जो रिक्ति प्रबंधन, उप-चुनाव, चुनाव अनुसूचक, अवकाश प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन आदि से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करती हैं। इस एप्लिकेशन में एक जानकारीपूर्ण डैशबोर्ड है जो चुनावी डेटा का त्वरित स्नैपशॉट प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन सीईओ को उनके राज्य और संसदीय योजनाकार की योजना और अन्य प्रकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए एक ऑटो अलर्ट एल्गोरिदम प्रदान करता है। ईसीआई उपयोगकर्ता इस पोर्टल का उपयोग करके एसएमएस और मेल के माध्यम से राज्य के अधिकारियों के साथ भी संवाद कर सकता है।

आम चुनाव का कार्यक्रम

भारत निर्वाचन आयोग ने जलवायु परिस्थितियों, शैक्षणिक कैलेंडर, बोर्ड परीक्षा, प्रमुख त्योहारों, प्रचलित कानून जैसे सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार कर लोकसभा के लिए आम चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, आवाजाही, परिवहन के लिए आवश्यक समय और बलों की समय पर तैनाती और अन्य प्रासंगिक जमीनी वास्तविकताओं का गहन मूल्यांकन शामिल है। आयोग पूरे देश में चुनावों की शुचिता बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण, समावेशी, सुलभ, नैतिक और भागीदारीपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आयोग की इन तैयारियों से लगता है सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन के साथ, इस चुनाव में देश में अब तक का सबसे अधिक मतदान दर्ज करते हुए सभी बेंचमार्क में अधिक ऊंचाई हासिल करेंगे। देष की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े पर्व आम चुनाव को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि सभी मतदाता अपने तय मतदान केंद्रों पर जाकर देश के लोकतांत्रिक लोकाचार को मजबूत करने और नैतिक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करे जिससे एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण हो सके।

संपादकीय

लोकसभा चुनाव में विपक्ष देगा दमदार चुनौती

इस बार के चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति के दावे किए जा रहे हैं। बेशक, सत्तारूढ़ NDA के पास दस साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में लोकप्रिय चेहरा है। BJP की अगुआई वाले NDA ने मोदी सरकार की 'हैट्रिक' का नारा देते हुए क्रमशः 370 और 400 सीटों का लक्ष्य भी घोषित कर दिया है। मगर दस साल की सत्ता के बाद भी छोटे-छोटे दलों पर डोरे डालना प्रतिकूल संदेश दे रहा है। NDA 26 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने अकेले दम बहुमत मिलने के बावजूद केंद्र में NDA की ही सरकार बनाई, लेकिन उसका महत्व पिछले साल I.N.D.I.A. बनने के बाद ज्यादा दिखा। घटक दलों की संख्या में I.N.D.I.A. को पीछे छोड़ने के लिए NDA का कुनबा भी बढ़ाया गया। इस खेल में संसद में नाममात्र की उपस्थिति या बिना उपस्थिति वाले दलों को भी साथ लेने में संकोच दोनों में से किसी गठबंधन ने नहीं किया। क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता कि लोकसभा चुनाव में मुकाबला इतना कड़ा हो सकता है कि दो-चार प्रतिशत वोट रखने वाले दल-नेता भी महत्वपूर्ण साबित हों?सवाल यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव में विभाजित विपक्ष के बीच और मोदी की लोकप्रियता के चरम पर भी BJP बहुमत के लिए जरूरी संख्या से मात्र 31 सीटें ज्यादा जीत पाई और पूरा NDA 81 सीटें ज्यादा जुटा पाया, तो 2024 के चुनाव में 370 और 400 का लक्ष्य कैसे मुमकिन होगा? ध्यान रहे, जिन राज्यों में पिछले चुनाव में BJP और NDA ने शानदार प्रदर्शन किया था, वहां इस बार समीकरण गड़बड़ाया हुआ है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र से पिछली बार NDA ने 41 सीटें जीती थीं। राज्य में सरकार के नेतृत्व को लेकर हुई तकरार के बाद अब दोनों अलग-अलग पाले में हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार गिर गई। बाद में NCP भी टूट गई। दोनों दलों से बगावत करने वाले गुट अब BJP के साथ NDA में हैं। उनके सहारे पुराना प्रदर्शन दोहरा पाने का भरोसा होता तो BJP राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से गठबंधन की कोशिश नहीं करती। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में पिछली बार BJP ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देते हुए 18 सीटें जीती थीं। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. बनने के बावजूद तृणमूल सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तृणमूल, BJP और कांग्रेस-वाम मोर्चा के बीच दिलचस्प त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले में BJP पर सीटें बढ़ाने से ज्यादा बचाने का दबाव रहेगा, क्योंकि ममता सरकार से नाराज वोटरों के लिए BJP से इतर भी एक विकल्प उपलब्ध होगा। तृणमूल और कांग्रेस-वाम मोर्चा अलग लड़कर भी जो सीटें जीतेंगे, वे चुनाव के बाद BJP विरोधी खेमे में ही रहेंगी। 40 सीटों वाले बिहार में पिछली बार NDA ने 39 सीटें जीत कर लगभग क्लीन स्वीप किया था।

समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए आईएनएस शारदा सम्मानित

नई दिल्ली। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने समुद्री डकैती विरोधी अभियान सफलतापूर्वक चलाने के लिए दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि की अपनी यात्रा के दौरान, 6 अप्रैल को आईएनएस शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्रश् से सम्मानित किया। यह जहाज ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ओमारी के सभी 19 चालक दल के सदस्यों (11 ईरानी और 08 पाकिस्तानी) की सुरक्षित रिहाई में शामिल था, जिसे सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री डाकुओं ने बंधक बना लिया था। जहाज को ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ओमारी की जांच करने का काम सौंपा गया था जिसका संभवतः समुद्री लुटेरों ने अपहरण कर लिया था। नौसेना आरपीए की निगरानी जानकारी के आधार पर, जहाज ने जहाज को रोक लिया और रात भर गोपनीय खोज जारी रखी। 02 फरवरी 2024 की सुबह, जहाज के महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर और उसके बाद प्रहार टीम को उतारा गया। जहाज की आक्रामक मुद्रा ने समुद्री डाकुओं को चालक दल और नाव

को सुरक्षित रूप से छोड़ने के लिए मजबूर किया। जहाज की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के परिणामस्वरूप अपहृत मछली पकड़ने वाले जहाज और उसके चालक दल को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ा लिया गया। समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात जहाज और मिशन के अथक प्रयास ने हिंद महासागर क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा बढ़ाने के भारतीय नौसेना के संकल्प को बरकरार रखते हुए समुद्र में बहुमूल्य जिंदगियां बचाईं। सीएनएस ने टीम शारदा के साथ बातचीत की और समुद्री डकैती के हमले का तत्परता से जवाब देने के लिए उनकी सराहना की, जिससे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में समुद्र में सुरक्षित व सफल कार्रवाई हुई। अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने चालक दल के पेशेवर दृष्टिकोण की सराहना की जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में भारतीय नौसेना को मान्यता और प्रशंसा मिली।

सूखा दिवस के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किये आदेश

जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में घोषित कार्यक्रम के अनुसार वित्त (आबकारी) विभाग के द्वारा 19 मार्च 2024 को जारी आदेशों की अनुपालना में जिले में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 04 जून 2024 को सूखा दिवस घोषित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू विधानसभा क्षेत्रों में, जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित चाकसू एवं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित चैमूं विधानसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 17 अप्रैल 2024 सांय 6 बजे से 19 अप्रैल 2024 को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। उन्होंने बताया कि अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित दूदू विधानसभा क्षेत्र में मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 24 अप्रैल 2024 सांय 6 बजे से 26 अप्रैल 2024 को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा राज्य के लोकसभा क्षेत्रों के मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 23 मई 2024 सांय 6 बजे से 25 मई 2024 को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। आदेशानुसार मतगणना दिवस 04 जून 2024 को सम्पूर्ण जिले में सूखा दिवस रहेगा। पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित केन्द्र के क्षेत्रों में भी सूखा दिवस रहेगा।

सिंधी समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाया चेटीचंड पर्व

जयपुर। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड महापर्व 10 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रवक्ता तुलसी संगतानी के अनुसार शहर के झूलेलाल मंदिरों राजापार्क सिंधी कॉलोनी, दुर्गापुरा, मालवीय नगर, कंवर नगर, जवाहर नगर, मानसरोवर, अग्रवाल फार्म, प्रताप नगर, जयसिंह पुरा खोर, मॉडल टाउन, षास्त्री नगर सहित कई मंदिरों में प्रातः काल भगवान झूलेलाल का पंचामृत अभिषेक कर नवीन वस्त्र धारण कराए गए। मंदिर के शिखर पर लाल रंग की धर्म ध्वजा फहराई गई। ऋतु पुष्पों से श्रृंगार किया गया। बिजली की झालरों से मंदिर परिसर सजाए गए। महिलाओं ने मीठे चावल और छोले का भोग भगवान को लगाया साथ ही मंदिर में अखो (चावल और चीनी) से पल्लव प्रार्थना कर सब के कल्याण की कामना की। सिंधी लोक नृत्य छेज की प्रस्तुति दी गई। नन्हें नन्हें बालकों के मुंडन संस्कार और बटुकों के जनेऊ संस्कार संपन्न हुए।

शोभायात्रा

मुख्य कार्यक्रम के तहत चेटीचंड सिंधी मेला समिति की ओर से शहर में विशाल शोभायात्रा निकाली गई। अध्यक्ष अशोक सेवानी ने बताया कि चैगान स्टेडियम में पूज्य सिंधी पंचायत, पुरानी बस्ती के सहयोग से शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में श्री अमरापुर दरबार की संत मंडली द्वारा ज्योति प्रज्वलित कर यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभायात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े और बग्गी सहित सुसज्जित लवाजमा शान से चला। जिया बैंड, सुंदर बैंड, शंकर बैंड, दौलत बैंड, अशोक बैंड, होजामालो की धुन पर श्रद्धालु झूमे। शहर की पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं के मुखिया और पदाधिकारी शोभायात्रा में सम्मिलित हुए। हजारों समाज बंधु अपने इष्टदेव भगवान झूलेलाल की सुंदर छवि देखने शोभायात्रा में पहुंचे। समन्वयक हितेश आडवाणी और हरीश असरानी ने बताया कि शोभायात्रा चैगान स्टेडियम से आरंभ हो कर गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार, खजाने वालों का रास्ता, इंद्रा बाजार, नेहरू बाजार, बापू बाजार, जौहरी बाजार, बड़ी चैपड़, हवामहल बाजार, चांदी की टकसाल होती हुई कंवर नगर स्थित श्री झूलेलाल मंदिर पहुंची। जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। स्थानीय पंचायत अध्यक्ष थांवर दास रामरख्यानी ने शोभायात्रा का स्वागत किया। महासचिव शंकर दुलानी ने बताया कि 40 से अधिक झांकियां शोभायात्रा में सम्मिलित थीं। सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की झांकी, श्री राम दरबार, श्री शिव परिवार, दुर्गा माता, हनुमान जी के कंधे पर श्री राम लक्ष्मण, कमल पुष्प पर भगवान श्री झूलेलाल, जल में नर मछली पर श्री झूलेलाल कलात्मक झांकियां मन को लुभा रही थीं।। पखवाड़ा सचिव सुरेश हंसराजानी ने बताया कि सिंध की संस्कृति को दर्शाती कई सजीव झांकियों को लोग टकटकी लगाए देखते रह गए। सिंध के वीर प्रतापी राजा दाहिर सेन, शहीद हेमू कालाणी, संत कंवर राम साहिब की झांकी को देख सभी ने गर्व का अनुभव किया। सिंध का परिवार झांकी देख सभी आनंदित हुए। अंग दान- महा दान, पेड़ बचाओ, सड़क दुर्घटना में सेल्फी नहीं खींचें घायल की मदद करें, जल का सीमित उपयोग करें आदि स्लोगन प्रेरित कर रहे थे।

सिंधी सपूत की उपाधि

पूज्य सिंधी पंचायत पुरानी बस्ती की ओर से प्रत्येक वर्ष सिंधी सपूत की उपाधि समाज के किसी श्रेष्ठि पुरुष को दी जाती है। संयोजक नंद लाल लालवानी ने बताया कि शोभायात्रा के प्रारंभ में सिंधी सपूत 2024 की उपाधि सिंधी लेखक गोबिंद राम माया को दी गई। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।

शोभायात्रा का इतिहास

विभाजन के पश्चात अविभाजित भारत के सिंध प्रांत से आए सिंधु जन देश के कई स्थानों पर जा बसे। 90 वर्षीय रेवाचंद सोनी ने बताया कि शुरुआती दौर में जयपुर में दुर्गापुरा में कैंप बना हुआ था, लोगों को वहीं बसाया गया था। उसके बाद कई स्थानों पर सिंधी कालोनियां बसाई गईं। आदर्श नगर सिंधी कॉलोनी, बनी पार्क सिंधी कॉलोनी, कंवर नगर, शास्त्री नगर, दुर्गापुरा में सिंधी बसे। जयपुर का सिंधी कैंप बस स्टैंड तत्कालीन समय की पहचान बना हुआ है। नमक की मंडी किशनपोल बाजार से शेवापुरी ने 1964 में एक साइकिल पर भगवान झूलेलाल जी की तस्वीर रखकर घंटा बजाते हुए लोगों को इकट्ठा किया और आयो लाल झूलेलाल, सिंधी बोली अमर रहे के नारे लगाए गए। कुछ साल साइकिल पर ही यात्रा निकाली गई। 76 वर्षीय जवाहर बालानी ने बताया कि 1974 में कुछ समाज के चिंतकों ने हाथ ठेले पर यात्रा आरंभ की। पोस्टर, बैनर, कट आउट, रंग, पैट सब कुछ हाथ से ही किया जाता था। जयपुर के प्रसिद्ध साधु वासवानी विद्यालय के संस्थापक दादा मोहनलाल वासवानी, राम रामनानी, सीरू मल, भुगड़ो मल, कीमत राय आदि ने कल्याण जी का रास्ता चांदपोल बाजार से आरंभ की, जो ताल कटोरा में विसर्जित होती थी। 63 वर्षीय गोबिंद रामनानी ने बताया कि 1986 में डॉक्टर जी. टी. भट्ट ने पुरानी बस्ती से शोभायात्रा आरंभ की जिसका वर्तमान स्वरूप अभी तक कायम है। ईश्वर दास मूलचंदानी, लौंग मल खत्री, एडवोकेट सीरुमल जैसे कई लोग सिंधी संस्कृति और भाषा को बढ़ाने के लिए शोभायात्रा को निकालते रहे।

शेष पृष्ठ 1 की न्यूज.....

लोकतंत्र का महापर्व-आम चुनाव 2024

घर से मतदान की सुविधा

घरेलू मतदान का प्रावधान एक प्रगतिशील उपाय है जिसका उद्देश्य उन मतदाताओं को सशक्त बनाना है जो मतदान केन्द्रों पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में बाधाओं का सामना करते हैं। विशेष रूप से, यह सुविधा दो प्रमुख जनसांख्यिकीय समूहों तक विस्तारित है- 40 प्रतिशत के बेंचमार्क के दिव्यांगता मानदंडों को पूरा करने वाले दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। मतदाताओं के इन वर्गों के लिए इस वैकल्पिक सुविधा का विस्तार करके, निर्वाचन आयोग ने इस आवश्यकता को पहचाना है कि शारीरिक अड़चनें और दिव्यांगता नागरिकों के वोट देने के अधिकार में कोई बाधा नहीं है। यह सुनिश्चित करने के आयोग के आदर्श वाक्य को कायम रखता है- कोई भी मतदाता न छूटे। इस सुविधा का लाभ उठाने की प्रक्रिया सरल लेकिन संपूर्ण है। चुनाव अधिसूचना के पांच दिन के भीतर, पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12डी पूरा करना होगा और रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगा। दिव्यांग मतदाता अपने आवेदन के साथ एक आधारभूत दिव्यांगता प्रमाणपत्र जमा करते हैं।

आवश्यक दस्तावेज पूरा होने पर मतदाता के निवास स्थान से फॉर्म 12डी प्राप्त करने की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की है। जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों को इन मतदाताओं की एक सूची प्राप्त होती हैय यदि वे चाहें तो प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इसके बाद, सुरक्षा अधिकारियों के साथ मतदान अधिकारियों की एक समर्पित टीम

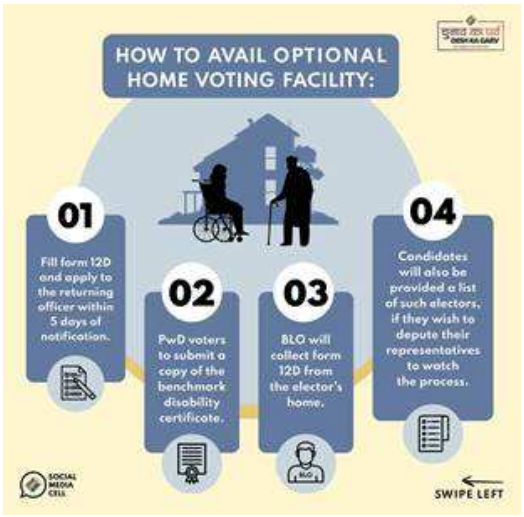

मतदाताओं के वोट लेने के लिए उनके निवास पर जाती है। महत्वपूर्ण रूप से, मतदाताओं को नियोजित यात्रा के समय से पहले सूचित किया जाता है, जिससे उन्हें सुरक्षित और आरामदायक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार रहने की अनुमति मिलती है। प्रक्रिया को और तेज करने व पहुंच में सुधार करने के लिए, मतदाता उन दिनों के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं जब उनके घर पर मतदान की सुविधा कार्य करेगी।

पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है। यह पहल चुनावी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के ईसीआई के समर्पण पर जोर देती है। डिजिटल सूचनाओं से लेकर वीडियोग्राफरों की तैनाती तक, नवीन समाधानों का समावेश पात्र व्यक्तियों के लिए एक सहज और पारदर्शी मतदान अनुभव की सुविधा प्रदान करता है। जैसे-जैसे भारत 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, घरेलू मतदान की शुरुआत सहभागी, समावेशी और चुनावों की सुलभता को बनाए रखने की ईसीआई की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

दिव्यांगजनों ने दिया मतदान का संदेश

जयपुर। लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने एवं प्रत्येक मतदाता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सतरंगी सप्ताह के चैथे दिन 13 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी डॉ. शिल्पा सिंह के निर्देशन में अंगुली पर निशान, देश के नाम थीम पर ट्राई साइकिल रैली का आयोजन हुआ। स्टेच्यू सर्किल से यूथ हॉस्टल तक आयोजित हुई ट्राई साइकिल रैली को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक बी.पी चंदेल, ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्राई साईकिल रैली में सैकड़ों दिव्यांगजनों ने भाग लेकर आमजन को मतदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को मतदान की शपथ दिलाई गई एवं मैं भारत हूं, हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम जैसे नारों से मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान जिला स्वीप टीम के पदाधिकारियों ने रैली में भाग लेने वाले दिव्यांगजनों को भारतीय निर्वाचन आयोग के सी-विजिल, सक्षम एवं वीएचए, सक्षम एप की जानकारी दी। इस दौरान जिला स्वीप कॉर्डिनेटर मितेश कुमारी और मोनिका महेन्द्रा, स्वीप प्रभारी सैयद असगर नकवी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

मतदान के लिए किया जा रहा प्रेरित, मतदाता मार्गदर्शिका का भी हो रहा वितरण

मतदाता अपना मतदान करें साथ अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। वहीं, हवामहल विधानसभा क्षेत्र की सहायक रिटर्निंग अधिकारी डॉ. सरिता शर्मा भी लगातार विधानसभा क्षेत्र में वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप एवं वोटर गाइड वितरण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहीं हैं। डॉ. सरिता शर्मा ने बताया कि गुरुवार तक हवामहल विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 16 हजार 997 वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप एवं 53 हजार 616 वोटर गाइड का वितरण किया जा चुका है। बीएलओं द्वारा घर-घर जाकर वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है साथ ही मतदाताओं को मोबाइल में सक्षम, केवाईसी, सी-विजिल एवं वीएचए जैसे महत्वपूर्ण एप का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एआरओ डॉ. सरिता शर्मा ने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए एवं न्यून प्रगति वाले बीएलओ श्री हर्ष शेखावत (भाग संख्या-1), श्री मोहन लाल शर्मा (भाग संख्या-130), श्रीमती शबाना खान (भाग संख्या-154) एवं श्री देवा गुर्जर (भाग संख्या-198) को नोटिस जारी कर आगामी कार्यदिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया गया है।

अनुपस्थित एवं न्यून प्रगति वाले 4 बीएलओ को नोटिस जारी कर मांगा गया स्पष्टीकरण

जयपुर(नि.सं.)। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में घर-घर जाकर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप एवं वोटर गाइड का वितरण किया जा रहा है। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती मुक्ता राव ने वोटर स्लिप एवं वोटर गाइड वितरण कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ सहित अन्य नियोजित कार्मिकों को जल्द से जल्द शत-प्रतिशत वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप एवं वोटर गाइड वितरण का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान श्रीमती राव ने स्वयं घर-घर जाकर मतदाताओं से आगामी 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने ने कहा कि

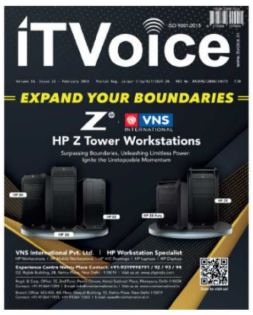

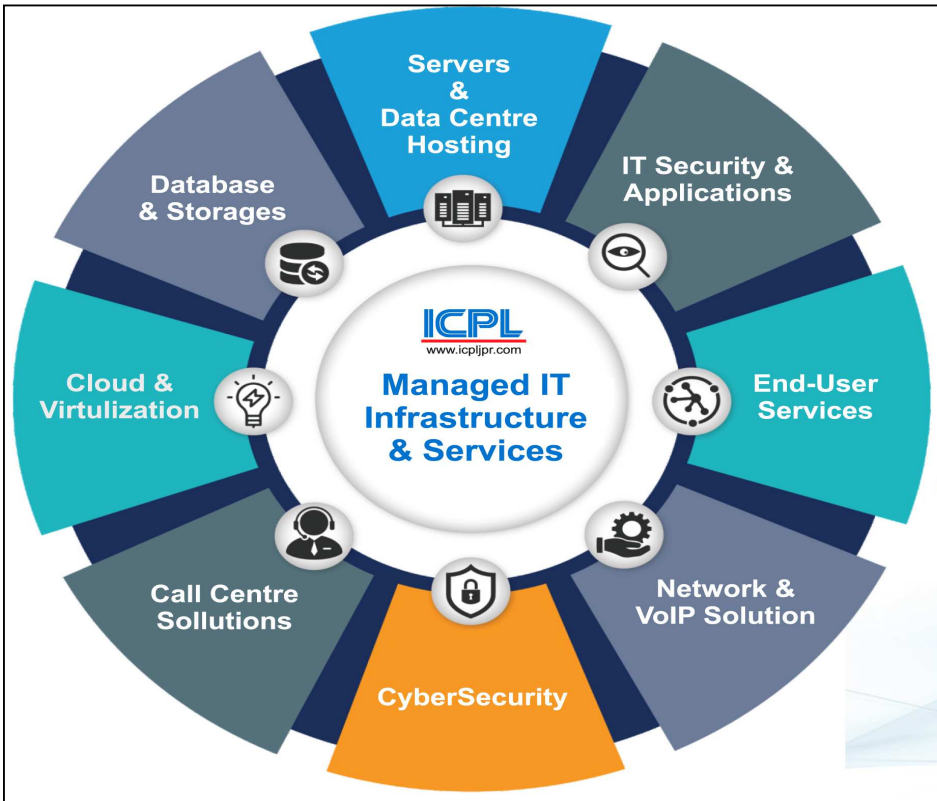

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक तरूण कुमार टांक के लिये महारानी प्रिन्टर्स प्लाट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 52/121, वीरतेजाजी रोड, मानसरोवर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। सम्पादक-तरूण कुमार टांक Email: mahanagarstambh@gmail.com